

# त्वरित हो जोधपुर में स्थाई पीठ गठित करने की कार्रवाईः राजस्थान हाईकोर्ट

**जोधपुर में अधिकरण की चल पीठ अनियमित रूप से तीन दिन ही न्यायिक कार्रवाई करती है**

जोधपुर, (कास)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के बरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण की जोधपुर में स्थाई पीठ अधिकरण की कार्रवाई में तेजी लाएं अधिकरण नाशुसिंह राठोड़ ने अधिकरण में राजस्थान एडवोकेट्स एसोसिएशन के अधिकरण की अधिकारियों को सूचित करें कि जोधपुर में अधिकरण की स्थाई पीठ अधिकरण की चल पीठ अनियमित रूप से तीन दिन ही न्यायिक कार्रवाई करती है, जिससे न केवल फरीको बल्कि

पीठ, जहां तक संभव हो, छह माह में अधिकारियों को भी अन्वयिक असुविधा और परेशानी होती है सो लंबित मामलों की वृद्धि देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने एडवोकेट्स एसोसिएशन के अधिकरण की जोधपुर में अधिकरण की अधिकारियों को अनिल भंडारी के गठित करने की कार्रवाई में तेजी लाएं अधिकरण में जोधपुर क्षेत्राधिकार के में कहा कि जोधपुर में अधिकरण की चल पीठ अनियमित रूप से तीन दिन ही न्यायिक कार्रवाई करती है, जिससे न केवल फरीको बल्कि